सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 09, गुरूवार, शाके -1943-दिसम्बर 30, 2021 *Pausa 09, Thursday , Saka 1943- December 30, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2021

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों में विद्यमान विनियम 7 एवं 9 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

“7. कोई भी विवाह संबंधी आयोजन किसी मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान व वर या वधू के घर पर अधिकतम 200 व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाकर आयोजित किया जा सकेगा एवं उक्त आयोजन के आयोजक एवं विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि,-

(i) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नही होगी परन्तु 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) उक्त समारोह के दौरान सामाजिक दूरी संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी;

(iii) उक्त समारोह में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति फेस मॉस्क (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढंका हुआ हो) का प्रयोग करेगा;

(iv) नो मॉस्क-नो एन्ट्री की कठोरता से पालना की जावेगी;

(v) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजे के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनिटाईज किया जावेगा;

9. किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहारों के आयोजन में अधिकतम 200 व्यक्तियों के

सम्मिलित होने की अनुमति होगी एवं उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उक्त आयोजनों के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनिटाईजेशन, दो गज की दूरी की पालना सुनिश्चित करेगा।“

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.